

FORM NO. III

APP-A

फर्द अहकाम

crim-I

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

कीताराम बनाम भूस्वामी
 किस्म मुकदमा नं. 9/970/24 सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
25.1.24	वाद पत्र/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 CR Act द्वारा वकील श्री दिनेश कुमार पांडेय पेश किया गया। सरिस्ता रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु तलब किया जाकर दिनांक 31.1.24 को पेश हो।	
31.1.24	पत्रावली पेश हुई वकील पद्मकरानु उपर ही तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट कि 31.1.24 अपर हुई शाब्दिक ही गरी बहस शाब्दिक सुनी गरी वास्ते आदेश दिनांक 2-2-24 को पेश हो।	
2.2.24	पत्रावली पेश हुई वकील पद्मकरानु उपर ही बहस शाब्दिक में वकील उषा ने अपने शाब्दिक में वगिति तथ्यों को दोहराते हुए शाब्दिक स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम खोलाड़ा की JLRMP योजना के तहत नक्शा ट्रेस में सहवन से हुए	



तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही गय इनिशियल जज	नम्बर अखण्ड हुक्म की में जारी
	<p>तरमीम को दुखल कर शहरा संख्या 727 व 607 के वर्तमान डॉनलाईन राजस्व नक्शों को पुराने राजस्व लच्छा शीट की शुद्ध तरमीम के अनुसार संशोधित कर यथास्थान पर दर्शाया जाना स्वीकार किया है।</p> <p>हमने ग्रा-पत्र, शपथ-पत्र, उत्तुत रिगाडि दस्तावेज, तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया। बहस हुई गई। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि DILRMP योजना के तहत तरमीम लखन से गलत हुई है जिसके पुनः पूर्व की नक्शा लच्छा की स्थिति के अनुसार संशोधित किया जाना उचित है अतः इमाम खोलाडा पटवार हल्का सुवानियां तहसील नैनवां की खसरा संख्या 727 व 607 की तरमीम DILRMP योजना से पूर्व की स्थिति जो नक्शा लच्छा में दर्ज की जो तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार उल्लेखित है, को संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से क्रम की जाकर बाध तकमील दाखिल दफ्तर है।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी (राज०)

क्रमांक:- रीडर/20.24/ 54

दिनांक:- 7.2.24

प्रेषित:-

तहसीलदार
नैनवां।

विषय:- न्यायालय निर्णय की पालना करने हेतु।


वाद/प्रार्थना पत्र संख्या..... 09/910 पत्र/2024

बउनवान..... श्रीताराम बनाम..... TDR

निर्णय दिनांक..... 2-2-24

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वाद पत्र/प्रार्थना पत्र के निर्णयानुसार पत्र के साथ प्राथमिक डिक्री/अन्तिम डिक्री/अंतिम निर्णय की प्रति वास्ते पालना हेतु भिजवायी जा रही है। पालना अन्दर 7 योम के की जाकर रिपोर्ट से अवगत करावे।

संलग्न:- उक्तानुसार।


उपखण्ड अधिकारी
नैनवां